

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2011

फा. सं. 11(22)/रा. स्था./84(1)/1396.—राष्ट्रीय  
राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम,

1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जय नारायण, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा प्रबंध की अधीनस्थ भूमि के लिए सहायक कलैक्टर, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2011

**F. No. 11(22)/Rev. Estt./84(1)/1396.**—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Jai Narayan, Tehsildar of Delhi Development Authority, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in respect of land owned by or under the management of Delhi Development Authority, so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.